



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ रानी दुर्गावती से फरार हुए 25 हजार के इनामिया बंदी अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 24 घण्टे के भीतर मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।
- ❖ अंतर्जनपदीय फरार बंदी अभियुक्त पर हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगस्टर, गांजा तस्करी, धोखाधड़ी व मारपीट आदि सहित करीब डेढ़ दर्जन से अधिक मामलें दर्ज हैं।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक बांदा/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.12.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रानीदुर्गावती मेडिकल कॉलेज से फरार हुए 25 हजार के इनामिया बंदी अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 07.12.2025 को जिला कारागार बांदा में निरुद्ध अभियुक्त को इलाज हेतु रानीदुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। इलाज के दौरान बंदी अभियुक्त ने अचानक मौका देखकर अस्पताल से फरार होने में सफल रहा। पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुई थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा तत्काल टीमों का गठन करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, संभावित स्थानों पर दबिश व मुखबिर की सूचना से समन्वय स्थापित करते हुए आज दिनांक 08.12.2025 को थाना कोतवाली नगर के केसीएनआईटी कॉलेज के पीछे भवानी पूर्वा परागी तालाब के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया था। पुलिस द्वारा अतुल नाम के अभियुक्त को आत्मसमर्पण हेतु कहे जाने पर स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व 600 नगद रुपए बरामद हुए हैं। बता दे कि अभियुक्त के ऊपर डेढ़ दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 03 खोखा कारतूस 315 बोर
- 600 रूपए नगद बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल पुत्र शिवबहादुर निवासी मुनऊ खेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 930/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बलराम सिंह मय टीम

2. प्रभारी एसओजी श्री आनंद कुमार सिंह मय टीम

आपराधिक इतिहास अतुल -

1. मु0अ0सं0 110/25 धारा 318(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा ।

2. मु0अ0सं0 930/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

3. मु0अ0सं0 927/25 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

4. मु0अ0सं0 622/12 धारा 323/324/504 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

5. मु0अ0सं0 801/12 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

6. मु0अ0सं0 143/16 धारा 147/148/323/452/504/504 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

7. मु0अ0सं0 518/16 धारा 147/148/352/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

8. मु0अ0सं0 92/17 धारा 307 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

9. मु0अ0सं0 93/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

10. मु0अ0सं0 169/17 धारा 147/307/323/504 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

11. मु0अ0सं0 296/19 धारा 323/324/325/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

12. मु0अ0सं0 160/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

13. मु0अ0सं0 288/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

14. मु0अ0सं0 366/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

15. मु0अ0सं0 98/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

16. मु0अ0सं0 101/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

17. मु0अ0सं0 129/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

18. मु0अ0सं0 85/25 धारा 316(2)/318(2)/340/336(3)/338 बीएनएस थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

19. मु0अ0सं0 148/25 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

20. मु0अ0सं0 100/25 धारा 316 बीएनएस थाना खीरो जनपद रायबरेली ।